प्रकरण संख्या–104/2014

तारीख रजु–09.10.2014

न्यायालय जिला कलक्टर, करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

उनवान

चिलकैया पुत्र हरभान मीना जाति मीना आयु 50 साल निवासी सांथलपुर तहसील मण्डरायल जिला करौली राज. – अपीलाण्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार मण्डरायल, तहसील मण्डरायल जिला करौली – रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजगी मुकदमा उनवानी सरकार बनाम चिलकैया मु.नं. 12/14
निर्णय दिनांक 22.08.2014

निर्णय

दिनांक–13.03.2018

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील दिनांक 22.08.14 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को ना तो कोई नोटिस दिया ना ही नोटिस की उस पर कोई तामील ही कराई गयी है। इस प्रकार अपीलाण्ट प्रार्थी पर असालतन तामील कराये बगैर उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को बगैर जबावदेही, सुनवाई व साक्ष्य का मौका दिये निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल पारित करने में भारी भूल की है जबकि विधि का सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि दण्डादेश पारित करने से पूर्व पीड़ित व्यक्ति को सुना जाना चाहिये। निर्णय में दर्ज पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया न ही उसकी जानकारी अपीलाण्ट को आज तक कराई गई। इस प्रकार पश्चात्वर्ती अतिचार साबित मानने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में एक तरफा बयान पटवारी हल्का पर भरोसा करने में कानूनी भूल की है। कोई जिरह का अवसर अपीलाण्ट को नहीं दिया गया है। विवादित भूमि ख.नं. 1790/1 रकबा 4 बीघा ग्राम सांथलपुर तहसील मण्डरायल पर अपीलाण्ट का मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है ना कभी रहा। मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर कब्जा मानने में भूल की है। आज दिनांक को अपीलाण्ट का कोई कब्जा भूमि पर नहीं है। कब्जा छोड़ चुका है जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से मंगाई जा सकती है। निर्णय दिनांक 22.08.14 की पूर्व से कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस थाना लांगरा का सिपाही प्रार्थी की अनुपस्थिति में घर आया। मेरे घर आने पर घरवालों ने बताया तब निर्णय की जानकारी की और नकल दिनांक 29.09.2014 को मिली तब आज अपील पेश की जा रही है। दरख्वास्त धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से पेश है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर शामिल पत्रावली की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील दिनांक 22.08.14 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के

जिला कलक्टर
करौली

(2)

विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को ना तो कोई नोटिस दिया और नोटिस की अपीलाण्ट प्रार्थी पर असालतन तामील कराये बगैर उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को बगैर जबावदेही सुनवाई व साक्ष्य का मौका दिये निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल दण्डादेश पारित करने में भारी भूल की है। निर्णय में दर्ज पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया न ही उसकी जानकारी अपीलाण्ट को आज तक कराई गई। इस प्रकार पश्चात्वर्ती अतिचार साबित मानने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में एक तरफा बयान पटवारी हल्का पर भरोसा करने में कानूनी भूल की है। कोई जिरह का अवसर अपीलाण्ट को नहीं दिया गया है। विवादित भूमि ख.नं. 1790 / 1 रकबा 4 बीघा ग्राम सांथलपुर तहसील मण्डरायल पर अपीलाण्ट का मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है ना कभी रहा। मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर कब्जा मानने में भूल की है। आज दिनांक को अपीलाण्ट का कोई कब्जा भूमि पर नहीं है। कब्जा छोड़ चुका है जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से मंगाई जा सकती है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि तहसीलदार मण्डरायल ने अपने निर्णय दिनांक 22.08.2014 में सरकारी सिवायचक भूमि खसरा नं. 1790 / 1 रकबा 04 बीघा पर अनाधिकृत रूप से कब्जा बाउण्ड्री करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा करने तथा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण की पुष्टि होने पर अतिक्रमी चिलकैया पुत्र हरभान जाति मीना के विरुद्ध एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत बेदखली करने तथा 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड से एवं 50 गुणा पेनल्टी के दण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया है जो सही व नियमानुसार है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को दण्डित किया जाना आवश्यक है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा उक्त खसरा नम्बर 1790 / 1 रकबा 04 बीघा पर अपना अतिक्रमण नहीं होने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तहसीलदार मण्डरायल से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार मण्डरायल ने पत्रांक 49 दिनांक 08.02.2018 से अवगत कराया है कि अपीलाण्ट द्वारा खसरा नं. 1790 / 1 रकबा 04 बीघा पहाड़ भूमि ग्राम सांथलपुर पर किये अतिक्रमण को हटा लिया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22. 08.2014 अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2018 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर
करौली

जिला कलक्टर